न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी:– पंकज कुमार, (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या:– 58/2024

प्रार्थीगण:– 1. जगदीश सांखला पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति माली निवासी मालियों राजबाग, सूरसागर, जोधपुर।
2. श्री किशन सांखला पुत्र स्व. श्री मोहन लाल जी, निवासी मालियों राजबाग, सूरसागर
3. श्रीमती पपीया देवी धर्मपत्नी स्व. श्री मोहनलाल जाति माली निवासी मालियों राजबाग, सूरसागर जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:– 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर व जिला जोधपुर।

2. परियोजना निदेशक पीडब्ल्यूडी, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्धिकरण करने व रकबा संशोधित करने हेतु।

दिनांक 28/08/24

–::आदेश::–

उपस्थिति:– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित कुमार ।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से तहसीलदार जोधपुर ।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रबंधक (तकनीकी) राज. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण जोधपुर ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जगदीश, किशनलाल पिसरान् स्व. श्री मोहनलाल एवं श्रीमती पपीया देवी धर्मपत्नी स्व.श्री मोहनलाल जी की खातेदारी की एवं मिल्कियत की कृषि भूमि ग्राम बागा के खसरा सं. 125, 127 एवं 220 में आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में सहवन से राजस्व नक्शों में सार्वजनिक कटाण का रास्ता दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य कई खातेदारों की कृषि भूमि में भी सहवन से कटाण रास्ता दिया गया है। वर्तमान में उपरोक्त खसरा नं. 220 की जमीन में पी. डब्ल्यू.डी. के खाते में 220 मिन रकबा 0.4613 दर्ज है। सहवन से हुई गलती की जानकारी होने पर तहसीलदार जोधपुर, राजस्व निरीक्षक बागा द्वारा जांच करने के पश्चात् विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई, जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीगण की राजस्व ग्राम बागा में ही अन्य खसरान् नं. 125 एवं 127 की भूमि आई है, जिसमें से होकर कदमी से रास्ता चलता आ रहा है एवं इसी स्थान पर स्टेट हाइवे की सड़क बनाई जा रही है। प्रार्थीगण को खसरा सं. 220/मीन में जितना रकबा सड़क के रूप में दर्ज है, उसको घटाते हुए मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है। अतः निवेदन ग्राम बागा के खसरा सं. 220/मिन रकबा 0.4613 हेक्टेयर जमीन प्रार्थीगण की खातेदारी में जोड़ी जाकर दर्ज की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया कि जमीन रकबा रिकार्ड का संधारण अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किया जाता है।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बागा की जमाबंदी संवत 2058–2061 खाता सं. 309 के अनुसार खसरा सं. 125 रकबा 21.15.17 बीघा भूमि जगदीश, किशनलाल पि. मोहनलाल पपिया देवी पत्नी मोहनलाल कौम माली सा. बागा खातेदार एवं खसरा सं. 125/1 रकबा 0.15.03 (पेट्रोल पंप) वर्तमान में उक्त खातेदारान द्वारा संपरिवर्तन करवा दी जाकर जरिए नामा. सं. 1311/27.07.2020 के जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर खातेदार (1225 वर्गमीटर) के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम बागा की जमाबंदी संवत् 2058–2061 के खाता सं. 309 के अनुसार खसरा सं. 127 रकबा 13.08.10 बीघा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उ...)

जगदीश, किशनलाल पि. मोहनलाल पपिया देवी पत्नी मोहनलाल कौम माली सा. बागा एवं खसरा सं. 127/1 रकबा 06.16.10 बीघा जरिए नामा. सं. 1622/28.02.2024 (रिसोर्ट प्रयोजनार्थ) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। ग्राम बागा के जमाबंदी संवत 2058–2061 खाता सं. 424 के अनुसार खसरा सं. 220/मिन रकबा 02.17 बीघा (0.4613 हैक्टेयर) भूमि गैर मु. सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के नाम दर्ज है। पैरा सं. 1 में वर्णित अनुसार खसरा सं. 220/मिन रकबा 2.17 बीघा (0.4613 हे.) भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खाता सं. 424 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के नाम दर्ज है। उक्त खसरा सं. 220/मिन रकबा 02.17 बीघा भूमि जरिए नामा. सं. 224/25.10.1977 के द्वारा खातेदार मोहनलाल पुत्र श्री फूसाराम माली सा. बागा खातेदार के नाम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई है। खातेदार श्री मोहनलाल प्रार्थीगण जगदीश, किशनलाल के पिता एवं पपिया देवी के पति है। वर्तमान में मथानिया–तिंवरी–देचु (एसएच 61 बी) एवं जोधपुर–तिंवरी (एस.एच. 95) के उन्नयन एवं विकास हेतु भूमि अर्जन के लिए केंद्रीय भूमि अर्जन. पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर की पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 से 30 के संबंध में अवाप्ताधीन भूमि की जांच भू.अ. निरीक्षक बागा एवं पटवारी हल्का बागा से रिकार्ड तथा मौका स्थिति अनुसार करवाए जाने पर वर्तमान में मौके पर चल रही/निर्मित/प्रस्तावित सड़क ग्राम बागा के खसरा सं. 125, 125/1, 127 व 127/1 में स्थित होने से अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चूंकि उक्त अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रिया के दौरान प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित सड़क के संबंध में अवाप्त की जा रही भूमियों के बाबत् श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अवाप्ति कार्यवाही की राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार पुनः जांच करवाई जावे। श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) के पत्रांक अवाप्ति/2024/49 दिनांक 21.04.2024 एवं श्रीमान परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के पत्रांक पीडी/आर.एस.एच.ए./जी.डी.पी./एस.एच–61बी.&95/2023–24/डी–722 दिनांक 20.02.2024 के संदर्भ में धारा 21 से 30 के संबंध में पटवारी हल्का बागा एवं भू अ. निरीक्षक बागा से अवाप्ताधीन भूमि की मौका फर्द एवं सूचि निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर भिजवाई गई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा सं.	नाम खातेदारान	कुल रकबा हे.	वर्तमान सड़क में प्रस्तावित	पीडब्ल्यूडी के नाम रकबा जो संशोधित किया जाना है।	शेष अवाप्त भूमि
1	127 127/1	जगदीश, किशनलाल पि. मोहनलाल पपिया देवी पत्नी मोहनलाल जाति माली सा. बागा खातेदार जो.वि.प्रा. जोधपुर (06.16.10)	3.2779	0.5146	0.2306	0.2840
2	125 125/1	जगदीश, किशनलाल पि. मोहनलाल पपिया देवी पत्नी मोहनलाल जाति माली सा. बागा खातेदार जो.वि.प्रा. जोधपुर (0.15.03)	3.6502	0.4145	0.2306	0.1839
3	220	जगदीश, किशनलाल पि. मोहनलाल पपिया देवी पत्नी मोहनलाल जाति माली सा. बागा खातेदार	0.7608	–	0.4613	–

उपरोक्तानुसार वादीगण की वर्तमान सड़क में प्रस्तावित भूमि (0.5146+0.4145=0.9291 हे.) तथा पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज भूमि (0.2306+0.2306 0.4613 हे.) है। शेष अवाप्ताधीन भूमि (0.2840+0.1839=0.4679 हे.) जिसका नियमानुसार मुआवजा राशि दिया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थीगण/वादीगण के राजस्व ग्राम बागा के अन्य खसरा सं. 125, 125/1, 127 व 127/1 की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

[illegible] स्टेट हाईवे की सड़क बनाई जा रही है। प्रार्थीगण को खसरा सं. 200/मिन [illegible] रकबा (0.4613 हे.) भूमि पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज है। अतः पैरा सं. 3 में वर्णित [illegible] अनुसार 0.4613 हे. भूमि पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज भूमि का रकबा घटाते हुए [illegible] का निर्धारण किया जाना है वादीगण स्वयं ने वाद में स्वीकार किया है। [illegible] कटाण रास्ते की स्थिति सहवन से पूर्व में अवाप्तशुदा भूमि 0.4613 हे. से [illegible] वर्तमान प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन सड़क में पैरा सं. 3 में वर्णित स्थिति [illegible] है। पैरा सं. 03 में वर्णित राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार सार्वजनिक [illegible] विभाग जोधपुर के नाम दर्ज 0.4613 हे. भूमि वादीगण के नाम नियमानुसार [illegible] की जाकर वर्तमान सक्षम अथोरिटी से जवाब लिया जाकर नियमानुसार संशोधन पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

बहस उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कथन किया तथा अप्रार्थीगण ने अपने जवाब को बहस होने का कथन किया।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रेकर्ड, तहसीदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेष्ति जवाब/रिपोर्ट एवं कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड–ाा जोधपुर के पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 15.07.2011 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि सड़क प्रार्थी की भूमि ग्राम बागा के खसरा सं. 125 एवं 127 से गुजरती है जबकि उक्त भूमि ग्राम बागा के खसरा सं. 220 में से अवाप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई है जिसे राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को खसरा सं. 220 मीन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रकबा 0.4613 हेक्टेयर भूमि पूर्ववत् अवाप्ति के पूर्व के खसरा संख्या 220 में सम्मिलित करते हुए प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करने का आदेश दिए जाते हैं। तदअनुसार पालना हेतु तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 28/08/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर